

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मधुबनी।
अति-अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-05/2026-27
केवल ई0 टेंडरिंग पद्धति के अनुसार वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in पर)

- (1) विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मधुबनी।
- (2) निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत कि तिथि :- दिनांक 11.07.2026
- (3) निविदा कागजात अपलोड एवं डाउनलोड करने की तिथि :- दिनांक 24.07.2026 से 29.07.2026 के 3:00 बजे अपराह्न तक।
- (4) निविदा कागजात हार्ड कॉपी में एवं अग्रधन मूल में जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान :- दिनांक 30.07.2026 के 3:00 बजे अपराह्न तक।
(1) कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मधुबनी का कार्यालय।
(2) अधीक्षण अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल दरभंगा का कार्यालय।
(3) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
विभाग मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर का कार्यालय।
- (5) निविदा (तकनीकी बीड) खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 30.07.2026 के 5:00 बजे अपराह्न।
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
- (6) कार्य की विवरणी :-

युप स0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र मूल्य (रूपये में) (अप्रत्यर्पणीय रूप में)	बेल्ड्रॉन का प्रोसेसिंग फीस + अन्य कर (रूपये में) (अप्रत्यर्पणीय रूप में)	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7
1	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मधुबनी अंतर्गत वर्ष 2026-27 में अल्प वर्षापात के कारण मधुबनी जिलों में भू-जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण चापाकल/पुराने जीर्ण-शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत 60 अदद 125mmx40mmx61M deep tube well with IM-II Hand Pump के साथ प्लेटफार्म, नाली एवं Construction of 1.0m dia x 2.0 m Deep Soakpit निर्माण कार्य	56.46	113000.00	10000.00	1180.00	03 माह



7. वितीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :-तकनीकी बीड निष्पादन के बाद समय एवं तिथि वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर सूचित की जायेगी।
(सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
8. निविदा की वैधता की तिथि :-निविदा खोलने की तिथि से 120 दिनों तक।
9. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना या अन्य शर्तें कार्यालय के सूचनापट्ट पर अथवा www.prdbihar.gov.in वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
10. ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User id) पासवर्ड (Password) अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउन लोड करने/ ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।


कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी।

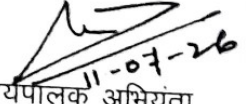
निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदादाता को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधन का होना आवश्यक है। उक्त निबंधन एवं कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र को निविदा के कागजातों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
2. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जायेगा। ई-निविदा से संबंधित जानकारी First Floor, M/22, Bank of India Building, Road No 25 Sri Krishna Nagar, Patna 800001 Phone No. 0612-2523006, Mob No 9939035696 Fax No 0612-2523006 से प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender Preview में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
4. निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खोलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा सम्बंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जायेगा।
5. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
6. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिक Cess के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।
7. निविदा के साथ पैन नं0, GST नं0, अद्यतन आयकर रिटर्न Assessment Year 2025-26 जमा करना अनिवार्य है।
8. राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये सम्वेदक इस निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।
9. निर्माण में व्यवहृत होने वाले आई.एस.आई.मार्क IM-II हैण्ड पम्प/जी0आई0 पाईप/यू.पी.भी.सी. पाईप/सिंगुर हैण्ड पम्प एवं स्ट्रेनर आदि के गुणवत्ता प्रमाण हेतु प्राधिकृत तृतीय पक्ष जाँच प्रतिवेदन के साथ सामग्री का प्रबंधन भंडारण सुरक्षा स्वयं के व्यय पर करना होगा। सामग्री पूर्ण रूपेण कनीय अभियंता के Custody में रखवाना सम्वेदक को सुनिश्चित करना होगा।
10. सफल संवेदकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ नहीं कराया जाता है तो उनकी अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. एक बार निविदा में भाग लेने के बाद निविदा प्राप्ति के अन्दर कार्य कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो निविदा के साथ अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनर्निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
12. सामान्यतः कार्य पूर्ण करने हेतु समय वृद्धि नहीं दी जायेगी। ससमय कार्य पूर्ण करने की बाध्यता सम्वेदकों की होगी।
13. वैसे सम्वेदक को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा जो विभाग द्वारा पूर्व में आवंटित कार्य को निष्पादित करने में सक्षम नहीं हो सके हैं तथा इस वित्तीय वर्ष में आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं अथवा जिनका कार्यकलाप संदेहास्पद रहा हो।
14. प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि घट/बढ़ सकती है तथा चापाकलों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
15. अन्य जानकारी के लिए कार्य दिवसों एवं कार्यालय अवधि में सूचना पट्ट देखी जाय/ अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जाय।
16. प्रधान सचिव के पत्रांक 3679 दिनांक 11.11.2011 के आदेशानुसार आवंटित कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध 80 प्रतिशत से कम या कार्य पूर्ण नहीं होने पर तकनीकी बीड में असफल घोषित कर दिया जायेगा।
17. निविदा के साथ सम्वेदकों द्वारा संलग्न किए जाने वाले अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों पर संबंधित सम्वेदक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
18. न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जायेगा। एक से अधिक न्यूनतम दर दाता होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

19. चापाकलों का निर्माण चबूतरा एवं नाली के साथ पूर्ण करा कर पानी गिरता हुआ चापाकल का रंगीन छायाचित्र विपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्राक्कलित राशि से कम दर उद्धृत करने पर अतिरिक्त जमानत की राशि परफोरमेंस गारंटी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
20. बेल्ट्रॉन का प्रोसेसिंग फीस+अन्य कर (जो लौटाया नहीं जायेगा) केवल ऑनलाईन भुगतान के रूप में मान्य होगा। जो कि Internet Payment gateway (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS से भुगतान होगा।
21. ब्लैकलिस्टेड, डिवार्ड, रिसाईन्ड, इत्यादि के आशय का शपथ-पत्र 105 रु के स्टाम्प पेपर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
22. चापाकलों के निर्माण संबंधित इस निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों के लिए कार्य की अनुभव की अनिवार्यता नहीं होगी।
23. संवेदक द्वारा निर्माण किए गए चापाकल का विपत्र प्रस्तुत करते समय चापाकल के पानी का शुद्धता की जाँच रिपोर्ट देना भी अनिवार्य होगा।
24. वैट/जी0एस0टी0/सेल्स टैक्स एवं अन्य कटौती अद्यतन सरकारी नियमानुसार की जाएगी।
25. आवंटन उपलब्ध होने पर ही किये गये कार्य का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में संवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
26. पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. निविदा के समय संवेदकों को निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार सरकार के अद्यतन अधिसूचना के आलोक में 100.00 (एक सौ) रुपये के स्टाम्प एवं 5.00 (पाँच) रुपये के एडवोकेट वेलफेयर फण्ड के स्टाम्प पेपर पर इस आषय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे किसी भी विभाग द्वारा निविदा से Debar (वंचित)/ Blacklisted (कालीसूची में दर्ज) नहीं किये गये हैं एवं उनका कोई कार्य Rescind नहीं हुआ है, जिसकी मूल प्रति अग्रधन की राशि के साथ जमा करना होगा।
28. e-Proc 2.0 प्रणाली के तहत मात्र online विधि से समर्पित अग्रधन (EMD) ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा करना आवश्यक हो तो मात्र बैंक गारंटी (BG) ही स्वीकार किया जायेगा। संवेदक निविदा कागजात के साथ बैंक गारंटी (BG) को Scan कर अपलोड करेंगे तथा भौतिक रूप से संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। e-Proc 2.0 में परिमाण विपत्र की राशि Internet Payment Gateway/Challan के माध्यम से ही लिया जाना है। अगर अग्रधन की राशि B.G. के रूप में दी जाती है तो B.G. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी के नाम से भारतीय Schedule बैंक/भारतीय राष्ट्रीय बैंक से निर्गत होना आवश्यक है। इस प्रणाली के तहत बैंक गारंटी (BG) का Online Verification किया जाएगा। परिमाण विपत्र का मूल्य Online O-GRAS के माध्यम से मान्य नहीं होगा। सषर्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जायेगा।
29. सभी मूल कागजात यथा परिमाण विपत्र के लिए जमा की गई राशि का प्राप्ति रसीद अथवा अग्रधन के रूप में जमा किए जाने योग्य बैंक गारंटी (BG) की मूल प्रति अथवा online mode में जमा किए गए राशि का प्राप्ति रसीद (जो भी लागू हो) को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी अथवा अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा अथवा मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में तकनीकी बीड खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा करना अनिवार्य है।
30. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी या अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा से किसी भी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
31. निविदा के साथ निबंधन प्रमाण-पत्र, पैन नंबर, जी0एस0टी0, आचरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
32. पथ निर्माण विभाग पटना के पत्रांक-प्र०-7/मुक०-02-25/2022 -4439(E/m) पटना, दिनांक- 17. 07.2023 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No. 9941 of 2022 बिहार संवेदक संघ बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य को सुनवाई के उपरान्त दिनांक-06.07.2023 को पारित आदेश में Dismissed कर दिया गया है। अतः पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-447(S) दिनांक- 16.01.2020 एवं ज्ञापांक 449(S) दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिष्ठत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee जमा करना होगा। 10 प्रतिष्ठत से कम निविदित दर को पुनः मान्य किया जाता है।

33. इस निविदा का विज्ञापन वेबसाईट <http://www.eproc2.bihar.gov.in/> पर देखा जा सकता है।


11-07-26
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी।